भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 3818
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बीजों का मूल्य

3818. डॉ. आनन्द कुमार:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को फसलों की बुवाई के दौरान किसानों द्वारा संकर बीजों की बढ़ती मांग के कारण बाजार में बीज निर्माता कंपनियों द्वारा बीजों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण खेती की उच्च लागत की जानकारी है;
(ख) क्या सरकार के पास धान, गेहूं, बाजरा आदि जैसे उच्च उपज वाले पारंपरिक देशी/स्थानीय बीजों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ऐसे देशी बीजों के लिए जिला/मंडल स्तर पर बीज बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि किसानों की संकर बीजों पर निर्भरता और बाजार में संकर बीजों का मूल्य कम किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): जी हां, किसानों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास तथा बीज उत्पादन को सुदृढ़ बनाना, बीज संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाना तथा कानूनी ढ़ॉचे और विनियामक तंत्र (लीगल फ्रेमवर्क एंड रेग्यलटॉरी मेकनिज़म) का निर्माण करना शामिल है।

किसानों को बीजों की नई और उन्नत किस्में उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों (सीएयू) और अन्य संस्थानों के माध्यम से पिछले दस वर्षों के दौरान संकर किस्मों सहित बीजों की 3,053 उन्नत किस्में जारी की है और अधिसूचित की हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये बीज

समय पर और किफायती दामों पर किसानों को उपलब्ध हों, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बीज निगमों, सहकारी समितियों और एजेंसियों के माध्यम से किसानों को बीजों का उत्पादन और आपूर्ति की जाती है इन एजेंसियों को भी मजबूत किया गया है और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) और हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) जैसी नई एजेंसियों को भी बीज उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों द्वारा नई किस्मों को अपनाया जाए, **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम), राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-तिलहन) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)** आदि जैसी योजनाओं के तहत किसानों को संकर किस्मों के बीजों सहित इन बीजों को सब्सिडी दरों पर या नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसानों को उच्च उपज वाले पारंपरिक और साथ ही स्वदेशी और स्थानीय बीजों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत बीज हब की स्थापना, नई किस्मों को बढ़ावा देना, बीज इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, राष्ट्रीय बीज रिजर्व का रखरखाव, प्रदर्शन, किसान प्रशिक्षण और कार्यनीतिक अनुकूली अनुसंधान सहायता जैसे प्रयास भी किए जाते हैं, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है।

बीज अधिनियम, 1966, बीज नियम, 1968 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के माध्यम से, सरकार ने अनैतिक पद्धतियों पर अंकुश लगाकर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी कानूनी व्यवस्था भी बनाई है। इसके अलावा, कपास बीज मूल्य (नियंत्रण) आदेश, 2015 के तहत, कपास के बीजों का अधिकतम विक्रय मूल्य भी भारत सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग): वर्तमान में, जिला/मंडल स्तर पर विशेष रूप से देशी बीजों के लिए बीज बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एनएफएसएनएम घटक **"पारंपरिक किस्मों के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना"** के अंतर्गत, बीज वितरण, बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन, किसानों के क्षमता निर्माण और बीज बैंकों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राज्य भी अपनी योजनाओं और मिशनों के माध्यम से देशी और पारंपरिक किस्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। पिछले दस वर्षों में जारी की गई 3,053 किस्मों/संकर किस्मों में से 2,347 ऐसी किस्में हैं जिनका किसान आगामी मौसमों में पुन: उपयोग कर सकते हैं, जिससे संकर बीजों पर निर्भरता कम हो जाती है।

*****